"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 मई 2017—— ज्येष्ठ 9, शक 1939

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–6/2012/38–2. —— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र.13 सन् 2005) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों मे, –

नियम 14 में,–

(क) उप–नियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(10) अध्यक्ष को, प्रतिमाह रू. 75,000 समेकित वेतन आहरित करने एवं उस पर नियमानुसार देय अन्य भत्तों की पात्रता होगी :

परंतु यदि अध्यक्ष को, शासकीय/अर्ध–शासकीय/शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं से पेंशन प्राप्त हो रही है, तो मूल वेतन का निर्धारण, सेवानिवृत्ति की तारीख पर अनुज्ञेय मूल वेतन (जो रू. 75,000/– से कम न हो) में से सेवानिवृत्ति पर निर्धारित मूल पेंशन (संराशिकृत राशि को सम्मिलित करते हुए) को घटाकर किया जायेगा। अध्यक्ष को, इस प्रकार से निर्धारित मूल वेतन पर, राज्य शासन के कर्मचारियों को, समय–समय पर, अनुज्ञेय दरों से मंहगाई भत्ता की पात्रता होगी, पेंशन एवं पेंशन पर मंहगाई राहत पृथक से देय होगी।"

(ख) उप–नियम (13) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(13) पूर्णकालिक सदस्य, रू. 37,400–67,000 के वेतन बैंड में, मूल वेतन रू. 52,120 (42,120 बैंड वेतन + 10,000 ग्रेड वेतन) एवं उस पर नियमानुसार देय भत्तों के हकदार होंगे:

परंतु, यदि सदस्य को, शासकीय/अर्ध–शासकीय/शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं से पें ान प्राप्त हो रही है, तो मूल वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्ति की तारीख पर अनुज्ञेय मूल वेतन (जो रू. 52,120/– से कम न हो) में से सेवानिवृत्ति पर निर्धारित मूल पेंशन (संराशिकृत राशि को सम्मिलित करते हुए) को घटा कर किया जायेगा। उसे, इस प्रकार से निर्धारित मूल वेतन पर, राज्य शासन के कर्मचारियों को, समय–समय पर अनुज्ञेय दरों से मंहगाई भत्तों की पात्रता होगी, पेंशन एवं पेंशन पर मंहगाई राहत पृथक से देय होगी।"

(ग) उप–नियम (14) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(14) पूर्णकालिक सदस्य, राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष आवास, मकान किराया भत्ते एवं वाहन के हकदार होंगे।"

(घ) उप–नियम (17) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(17) अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य, राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष चिकित्सा प्रतिपूर्ति अथवा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यथा विनिश्चित चिकित्सा बीमा के हकदार होंगे।

No. F 5-6/2012/38-2. — In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules, 2005, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 14,-

(a) for sub-rule (10), the following shall be substituted, namely :-

"(10) The Chairman shall be eligible to draw a consolidated pay of Rs 75,000 per month and other allowances payable thereon as per rules:

Provided that if the Chairman is getting pension from Government/Semi-Government/Government-aided institutions, the basic pay shall be fixed by deducting the basic pension determined (inclusive of commuted amount) on retirement from admissible basic pay (which should not be less than Rs 75,000/-) on the date of retirement. The Chairman shall be eligible for dearness allowance on the basic pay so fixed at rates admissible to employees of the State Government, from time to time, pension and dearness relief on pension shall be payable separately."

(b) for sub-rule (13), the following shall be substituted, namely :-

"(13) The full time Members shall be entitled to basic pay of Rs. 52,120 (42,210 Band Pay+10,000 Grade Pay) in pay band of Rs. 37,400-67,000 and allowances payable thereon as per rules:

Provided that if the Member is getting pension from Government/Semi-Government/Government-aided institutions, the basic pay shall be fixed by deduction of the basic pension determined (inclusive of commuted amount) on retirement from admissible basic pay (which should not be less than Rs. 52,120/-) on the date of retirement. He shall be eligible for dearness allowance on the basic pay so fixed at rates admissible to employees of the State Government, from time to time, pension and dearness relief on pension shall be payable separately."

(c) for sub-rule (14), the following shall be substituted, namely :-

"(14) The full time Members shall be entitled to residence, house rent allowance and vehicle equivalent to Class-I Officer of the State Government."

(d) for sub-rule (17), the following shall be substituted, namely :-

"(17) The Chairman and full time Members shall be entitled to medical reimbursement equivalent to Class-I Officer of the State Governemnt or medical insurance as decided by the Department of Higher Education."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. समरेन्द्र सिंह, राज्य एनएसएस अधिकारी व पदेन उपसचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.